उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-22/3311/26-1-2013-4(4)/2013

लखनऊ : दिनांक: 29 अक्टूबर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, बाराबंकी द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि के वितरण में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं/शासकीय धनराशि का गबन किये जाने विषयक प्रकरण संज्ञान में आने पर इसकी जॉच हेतु वित्त नियंत्रक समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ की अध्यक्षता में जॉच समिति का गठन किया गया। जॉच समिति की रिपोर्ट निदेशक समाज कल्याण के पत्र दिनांक 26-09-2013 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई।

2- उक्त प्रारम्भिक जॉच आख्या के अनुसार **प्रश्नगत प्रकरण में लगभग रू0 2,68,40,000/- (दो करोड अरसठ लाख चालीस हजार मात्र) की शासकीय धनराशि का गबन/व्यपहरण किया गया है।** प्रारम्भिक जॉच आख्या के परीक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत जिलाधिकारी, बाराबंकी के समक्ष स्वीकृति हेतु लाभार्थियों से संबंधित जो विवरण प्रस्तुत किया गया, उसमें लाभार्थियों का बैंक खाता नं0 एवं बैंक का नाम जानबूझकर अंकित नहीं किया गया तथा जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत सूची में लाभार्थियो का नाम अंकित होने के बाद भी धनराशि उनके खातों में अन्तरित नहीं की गयी। **श्री वी0के0 सिंह, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी** के कार्यकाल में (दिनांक 06-09-2005 से 12-07-2010 एवं दिनांक 13-10-2010 से 14-02-2011 के मध्य) जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अनुमोदित सूची में फेर-बदल कर स्वनिर्मित सूचियॉ संलग्न कर बैंकों को भेजी गयी तथा 120 अपात्र व्यक्तियों के खातों में 01 से अधिक बार अधिकतम 13 बार तक **कुल रू0 83,00,000/- (रू0 तिरासी लाख मात्र) की धनराशि अन्तरित की गयी। यह धनराशि फर्जी व्यक्तियों द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों से दुरभिसंधि करके आहरित कर गबन कर ली गयी।**

3- इस प्रकार उक्त शासकीय धनराशि रू0 **83,00,000/- (रू0 तिरासी लाख मात्र)** के गबन/व्यपहरण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए **श्री वी0के0 सिंह, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी** सम्प्रति उपनिदेशक, समाज कल्याण जनजाति निदेशालय, लखनऊ को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-4(1) के अंतर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है तथा उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत प्रकरण की जॉच हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को पदनाम से जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4- निलम्बन की अवधि में श्री वी0के0 सिंह को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस

http://shasanadesh.up.nic.in

शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

5- उपर्युक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री वी0के0 सिंह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापारवृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

6- श्री वी0के0 सिंह को निलम्बन अवधि में निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध किया जाता है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-22/3311(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ को निलम्बन आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री वी0के0 सिंह, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी सम्प्रति उपनिदेशक, जनजाति विकास निदेशालय, लखनऊ को निलम्बन आदेश की प्रति तामील कराकर स्पष्ट हस्ताक्षर व दिनांक सहित तामीली की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी अपर आयुक्त (प्रशासन), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को आरोप पत्र की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे अपचारी अधिकारी को तामील कराकर इस संबंध में उनका लिखित उत्तर 01 माह के अन्दर प्राप्त कर तदोपरान्त नियमानुसार जॉच की कार्यवाही पूर्ण करते हुए जॉच आख्या शासन को 01 माह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी/लखनऊ।

4- संबंधित अधिकारी।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in